



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052025-263479
CG-DL-E-30052025-263479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 311]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

सा.का.नि. 354(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या, करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग में भारतीय सिविल लेखा सेवा में भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको ये नियम प्रवृत्त होंगे;

- (ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) "नियंत्रण प्राधिकारी" से वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट सेवा के किसी श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है और ऐसी समिति की संरचना इन नियमों की अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट होगी;
- (ङ) "विभागीय पुष्टि समिति" से कनिष्ठ समय मान श्रेणी में परीक्षा और पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है और इसकी संरचना इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होगी;
- (च) "छूटी पद" से नियमों की अनुसूची 1 में सम्मिलित स्थायी पद अभिप्रेत है;
- (छ) "परीक्षा" से भारतीय सिविल लेखा सेवा और ऐसी अन्य सेवा या सेवाओं जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाता है; में भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अभिप्रेत है,
- (ज) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ञ) "अ.पि.व." से अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है जिसका वही अर्थ और प्रयोज्यता होगी जो समय-समय पर यथा संशोधित कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में यथावर्णित है;
- (ट) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में नियमित आधार पर चयन और नियुक्ति के पश्चात् दी गई सेवा की अवधि या अवधियाँ अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित अवधि या अवधियाँ सम्मिलित हैं:
 - (i) इन नियमों की अधिसूचना के समय पहले से ही सेवा में के उन मामलों में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई अवधि;
 - (ii) वह अवधि, जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में पद धारण करता, किन्तु छुट्टी पर होने के नाते या अन्यथा के कारण ऐसे पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था;
- (ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के क्रमशः, वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में उनका है;
- (ढ) "संचालन समिति" से इन नियमों की अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से गठित समिति अभिप्रेत है, जो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में नियुक्ति या किसी भी श्रेणी में अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू) प्रदान करने पर विचार करती है;
- (ण) "सेवा" से भारतीय सिविल लेखा सेवा अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों की अनुसूची-1 में उल्लिखित पद या श्रेणी या समय मान सम्मिलित होंगे;
- (त) "रिक्ति वर्ष" से कैलेंडर वर्ष या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य अवधि अभिप्रेत है।

3. सेवा का गठन.- (1) सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- (i) नियत तारीख को भारतीय सिविल लेखा सेवा में अपनी श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त होने वाले सभी विद्यमान अधिकारी;

(ii) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में नियुक्त व्यक्ति।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद, समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किये जाएंगे।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित सेवा की गणना परिवीक्षा, पुष्टि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा तथा सेवा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

(4) सेवा के संवर्ग को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

4. सेवा की श्रेणी और प्राधिकृत पद संख्या.— (1) नियत दिन को सेवा के झूटी पदों की विभिन्न श्रेणियों की श्रेणी, प्राधिकृत पद संख्या और वेतन मैट्रिक्स, अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात्, सेवा की विभिन्न श्रेणियों के झूटी पदों की प्राधिकृत पद संख्या वह होगी जो सरकार (वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय-समय पर स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की जाएगी।

(3) किसी श्रेणी में कोई नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, सरकार (वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अवधारित स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, उस श्रेणी में ऐसी स्थायी या अस्थायी वृद्धि कर सकेगा, जो वह समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश, जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाए, के अध्यक्षीन रहते हुए, उचित समझे।

5. भर्ती की पद्धति.— (1) इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात् अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में कोई रिक्ति इस नियम में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरी जाएगी, अर्थात्:-

- (i) सीधी भर्ती के द्वारा— सरकार/आयोग द्वारा अधिसूचित उक्त परीक्षा के नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर कनिष्ठ समय मान में सीधी भर्ती द्वारा। कनिष्ठ समय मान श्रेणी में 50% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।
- (ii) केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा - कनिष्ठ समय मान ग्रेड में 50% रिक्तियां, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर, वेतन मैट्रिक्स (रु. 56100-177500) में स्तर 10 में केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के समूह 'क' के ऐसे ज्येष्ठ लेखा अधिकारियों में से चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(2) सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर के स्तर के पदों या श्रेणियों की नियुक्तियां अनुसूची-2 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा की जाएंगी।

(3) प्रोन्नति द्वारा पात्र अधिकारियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार अनुसूची-2 के अनुसार मानदंड, पात्रता, निबंधनों और शर्तों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और ज्येष्ठ काल वेतनमान श्रेणी के झूटी पदों को भर सकेगी: परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. सेवा में नियुक्ति.— सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा अनुसूची-2 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

7. परिवीक्षा.— (1) सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ काल वेतनमान की श्रेणी में भर्ती किया गया प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा: -

- i. परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा।

- ii. परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार के लिए कोई भी निर्णय सामान्यतः पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा तथा ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- (2) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार की अवधि पूरी होने पर, यदि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं तो यथा स्थिति, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति को बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्तियों के अधीन सम्यक अनुक्रम में स्थायी किया जाएगा।
- (3) यदि यथा स्थिति परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार अधिकारी को यथा स्थिति, सेवामुक्त कर सकेगी या सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर वापस कर सकेगी।
- (4) परिवीक्षा अवधि या उसके विस्तार के दौरान, सरकार अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के पाठ्यक्रम में भाग लें तथा ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिंदी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करें, जिन्हें सरकार परिवीक्षा के संतोषप्रद समापन की शर्त के रूप में उपयुक्त समझे।
- (5) परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (6) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, सेवा के सदस्य इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

8. प्रोन्नति.—(1)(क) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और पात्रता मानदंड अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(ख) सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियां (अकृत्यिक चयन श्रेणी के सिवाय, जहां नियुक्ति नियोजन के माध्यम से की जाती हैं) अनुसूची-2 के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाले अगली निचली श्रेणी के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाएंगी।

(2) अकृत्यिक चयन श्रेणी (स्तर-13) में अधिकारियों की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी, यह अनुसूची-2 (क) के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए परामर्श की गई समिति की सिफारिशों पर उपयुक्तता के अध्यधीन होगा।

9. अकृत्यिक उन्नयन.—(1) नियमों की अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, पात्र अधिकारियों को सेवा की विभिन्न श्रेणियों (उच्च प्रशासनिक श्रेणी स्तर तक) में भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों को अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा, जब कभी राज्य या संयुक्त केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स में एक विशिष्ट स्तर में वेतन वाले किसी विशेष श्रेणी में केंद्र में तैनात किया जाता है, संगठित समूह 'क' के बैचों से संबंधित अधिकारी जो दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और अभी तक उस विशेष श्रेणी में प्रोन्नत नहीं हुए हैं, उन्हें केंद्र में उस विशेष श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर समान श्रेणी प्रदान की जाएगी, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/64/2008-स्था.(आरआर) तारीख 24 अप्रैल, 2009, के उपाबंधों-1 के उपबंधों, समय-समय पर यथासंशोधित, और अनुसूची 3 के अनुसार गठित विभागीय संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी।

- (2) सरकार द्वारा इस मामले में जारी आदेशों और अनुदेशों में यथा विहित, उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग के समय विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति मानदंड जैसे कि भारतीय सिविल लेखा सेवा के किसी विशेष श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 'बेंचमार्क' आदि सहित सभी निबंधन और शर्तें पूरी करनी होंगी।

(3) अकृत्यिक उन्नयन देने के लिए पात्रता अवधारित करने हेतु भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी के 'बैच' का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (i) प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ काल वेतनमान) में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के संबंध में, 'बैच' वर्ष उस वर्ष के पश्चात् का वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और जिसके माध्यम से उनका चयन किया गया था। सेवा की पश्चात्पूर्वी श्रेणी में प्रोन्नत अधिकारी का बैच विभिन्न वेतन स्तरों में अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजन से समान रहेगा, परंतु किसी भी कारण से अधिकारी को अधिकांत न किया गया हो। यदि किसी अधिकारी को अधिकांत किया जाता है, तो अधिकारी को उस 'बैच' के साथ माना जाएगा जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता तय की गई हो।
- (ii) प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ काल वेतनमान) में प्रोन्नति के माध्यम से सेवा में सम्मिलित किए गए प्रोन्नत अधिकारियों के संबंध में, बैच वर्ष सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों का 'बैच' होगा, जिसके साथ उनकी ज्येष्ठता भारतीय सिविल लेखा सेवा में जोड़ी गई है। सेवा की पश्चात्पूर्वी श्रेणियों में प्रोन्नत अधिकारी का बैच विभिन्न वेतन स्तरों में अकृत्यिक उन्नयन के लिए समान रहेगा, परंतु किसी कारण से अधिकारी को अधिकांत न किया गया हो। यदि किसी अधिकारी को अधिकांत किया जाता है, तो अधिकारी को उस 'बैच' के साथ माना जाएगा जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता तय की गई है।

10. ज्येष्ठता.- (1) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता का निर्धारण तथा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ज्येष्ठता के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों में दिए गए सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगा।

(2) ज्येष्ठ लेखा अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति मिलने पर ज्येष्ठता में दो वर्ष की वरीयता दी जाएगी तथा उन्हें उस वर्ष के सबसे कनिष्ठ सीधी भर्ती वाले अधिकारी से नीचे रखा जाएगा।

11. स्थानांतरण हेतु दायित्व.- सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण भारत में या भारत के बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

12. निरर्हरता.- वह व्यक्ति;

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. कतिपय आदेश जारी करने की शक्ति.- सरकार, उन सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिनके लिए इन नियमों को प्रभावी रूप देने के प्रयोजन के लिए उपबंध आवश्यक या समीचीन हैं, आदेश जारी कर सकेगी, जो इन नियमों से असंगत न हों।

14. शिथिल करने की शक्ति.- जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह मामला सरकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो आयोग के परामर्श से उसका विनिश्चय करेगी।

17. शेष मामले.— ऐसे मामलों के संबंध में जो इन नियमों या इनके अधीन बनाए गए या जारी किए गए आदेशों या विशेष आदेशों में विशेष रूप से नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवाओं को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची-1

[नियम 4(1) देखें]

भारतीय सिविल लेखा सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित पदों के पदनाम, संख्या और वेतनमान/वेतनस्तर।

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या*	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ड्यूटी पद		
(i)	महालेखा नियंत्रक	1	शीर्ष वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-17 (रु. 225000)]
(ii)	अपर महालेखा नियंत्रक	2	उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर -16 (रु. 205400-224400)]
(iii)	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	7	उच्च प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (रु. 182200-224100)]
(iv)	संयुक्त महालेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक	51	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (रु. 144200-218200)]
(v)	ज्येष्ठ उप महालेखा नियंत्रक / ज्येष्ठ लेखा नियंत्रक	63	अकृत्यिक चयन श्रेणी वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 123100-215900)]
	उप महालेखा नियंत्रक / लेखा नियंत्रक		कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800-209200)]
(vi)	सहायक महालेखा नियंत्रक / उपलेखा नियंत्रक	61	ज्येष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)]
(vii)	सहायक लेखा नियंत्रक	80	कनिष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)]
	कुल ड्यूटी पद (क)	265	
2.	आरक्षित		
(i)	प्रतिनियुक्ति आरक्षित	22	
(ii)	छुट्टी आरक्षित	5	
(iii)	प्रशिक्षण आरक्षित	5	

(iv)	परिवीक्षाधीन आरक्षित	20
	कुल आरक्षित (ख)	52
	कुल प्राधिकृत पद संख्या (क+ख)	317

* कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या, संवर्गीकरण और काडर समीक्षा के अधीन भिन्न-भिन्न होती है।

टिप्पण: जेएजी के स्वीकृत पदों के भीतर एनएफएसजी मान में संचालित किए जाने वाले पदों की संख्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 06.06.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22/1/2000-सीआरडी के अनुसार कुल ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 30% होगी या जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।

अनुसूची- 2

[नियम 5 देखें]

भारतीय सिविल लेखा सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र तथा पूर्ववर्ती श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा को दर्शाने वाला विवरण:

क्र. सं.	श्रेणी का नाम और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कनिष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)]	i) 50% सीधी भर्ती द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जो सरकार/आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों के अनुसार आयु, शैक्षिक अर्हता और अन्य शर्तों पर आधारित होगी। ii) 50% प्रोन्नति द्वारा चयन के माध्यम से	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु. 56100-177500) में केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के समूह 'क' के ऐसे ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।
2.	ज्येष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)]	चयन के आधार पर प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: कनिष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)] के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति:

			<p>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो:</p> <p>(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो;</p> <p>या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु. 56100-177500) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) लेखांकन, बजट कार्य, प्रशासन/स्थापना, उपापन, सतर्कता, संपरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक नीति के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p>
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800-209200)]	चयन के आधार पर प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:</p> <p>ज्येष्ठ काल वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700)] के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो:</p> <p>(क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रु. 67700-208700) या समतुल्य के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p>

			<p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री; और</p> <p>(ii) लेखांकन, बजट कार्य, प्रशासन/स्थापना, उपापन, सतर्कता, संपरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक नीति के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।</p>
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14] (रु. 144200-218200)	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78800-209200) में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने अकृत्यिक चयन श्रेणी [वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (रु. 123100-215900)] में की गई सेवा, यदि कोई हो, सहित श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो या समूह 'क' पदों पर सत्रह वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी जिनमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में की हो, जिसके अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में की गई सेवा भी सम्मिलित है।
5.	उच्च प्रशासनिक श्रेणी [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (रु. 182200-224100)]	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (रु. 144200-218200) में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या समूह 'क' पदों पर पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में की हो।
6.	उच्च प्रशासनिक श्रेणी + [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (रु. 205400-224400)]	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (रु. 182200-224100) में उच्च प्रशासनिक श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।
7.	शीर्ष वेतनमान [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-17 (रु. 225000)]	चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतन मैट्रिक्स के स्तर-16 (रु. 205400-224400) में एक वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।

टिप्पण I: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और

उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण II: सेवा के विभिन्न श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा अवधारित करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी।

टिप्पण III: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी या इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान नियमों के अनुसार होगी।

टिप्पण IV: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची- 2 (क)

[नियम 8 (2)]

क्र.सं.	श्रेणी का नाम और वेतन मैट्रिक्स में स्तर	भर्ती की पद्धति	नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) [वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 123100-215900)]	ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर वेतनमान में नियोजन द्वारा नियुक्ति।	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78800-209200) में ऐसे अधिकारी, जिन्होंने परीक्षा के वर्ष, जिसके आधार पर सदस्यों की भर्ती की गई थी, के पश्चात् के वर्ष से गणना करते हुए वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 14 वें वर्ष में प्रवेश किया है। या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78800-209200) के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कनिष्ठ काल वेतनमान सेवा में सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश किया है और अकृत्यिक चयन श्रेणी के लिए विचार की तारीख को कनिष्ठ काल वेतनमान में सम्मिलित किए जाने वाले वर्ष से गणना की गई नियमित सेवा के तेरह वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अनुसूची-3

[नियम 5, नियम 8 (2) और नियम 9 देखें]

भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) में विभिन्न समूह 'क' पदों पर प्रोन्नति/पुष्टि/अकृत्यिक उन्नयन/अकृत्यिक चयन श्रेणी के मामलों पर विचार करने के लिए समिति की संरचना:

क्र. सं.	श्रेणी	पुष्टि/प्रोन्नति/अकृत्यिक चयन श्रेणी/अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए समितियों की संरचना	
(1)	(2)	(3)	
1.	भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह क) के कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती की पुष्टि	1. अपर महालेखा नियंत्रक / प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	अध्यक्ष
		2. उप महालेखा नियंत्रक	सदस्य
		3. लेखा नियंत्रक	सदस्य
	केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के ज्येष्ठ लेखा अधिकारियों (ग्रुप क) की भारतीय सिविल लेखा सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
		2. अपर महालेखा नियंत्रक/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	सदस्य
		3. अपर सचिव (व्यय) / संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग	सदस्य
2.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान से ज्येष्ठ काल वेतनमान में प्रोन्नति	1. अपर महालेखा नियंत्रक/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	अध्यक्ष
		2. अपर सचिव (व्यय) / संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग	सदस्य
		3. उप महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक	सदस्य
	भारतीय सिविल लेखा सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान में अकृत्यिक उन्नयन	संचालन समिति (नियम 9 के संदर्भ में)	
		1. अपर महालेखा नियंत्रक/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	अध्यक्ष
		2. अपर सचिव (व्यय) / संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग	सदस्य
		3. उप महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक	सदस्य
3.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के ज्येष्ठ काल	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष

	वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति	<p>2. अपर महालेखा नियंत्रक/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक</p> <p>3. अपर सचिव (व्यय)/संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग</p>	<p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>
	भारतीय सिविल लेखा सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक उन्नयन	<p>संचालन समिति (नियम 9 के संदर्भ में)</p> <p>1. महालेखा नियंत्रक</p> <p>2. अपर महालेखा नियंत्रक/प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक</p> <p>3. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>
4.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में नियुक्ति / अकृत्यिकचयन श्रेणी वेतनमान में अकृत्यिक उन्नयन (संचालन समिति)	<p>1. महालेखा नियंत्रक</p> <p>2. अपर महालेखा नियंत्रक / प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक</p> <p>3. अपर सचिव (व्यय) / संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग</p> <p>4. वित्त मंत्रालय के किसी भी विभाग का अपर सचिव / संयुक्त सचिव</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>
5.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति	<p>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</p> <p>2. सचिव (व्यय)</p> <p>3. महालेखा नियंत्रक</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>
	भारतीय सिविल लेखा सेवा के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर पर अकृत्यिक उन्नयन	<p>संचालन समिति (नियम 9 के संदर्भ में)</p> <p>1. सचिव (व्यय)</p> <p>2. महालेखा नियंत्रक</p> <p>3. अपर सचिव (व्यय)</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>
6.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के उच्च प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नति	<p>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग</p> <p>2. सचिव (व्यय)</p> <p>3. महालेखा नियंत्रक</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>

	भारतीय सिविल लेखा सेवा के उच्च प्रशासनिक श्रेणी स्तर पर अकृत्यिक उन्नयन	संचालन समिति (नियम 9 के संदर्भ में) 1. सचिव (व्यय) 2. महालेखा नियंत्रक 3. अपर महालेखा नियंत्रक	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
7.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के उच्च प्रशासनिक श्रेणी + में प्रोन्नति	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिव (व्यय) 3. महालेखा नियंत्रक	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
8.	भारतीय सिविल लेखा सेवा के शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नति	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. वित्त सचिव 3. सचिव (व्यय)*	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

*यदि सचिव (व्यय) वित्त सचिव भी हैं, तो वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के किसी अन्य सचिव को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

टिप्पण 1: यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हों, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के अतिरिक्त किसी सदस्य की अनुपस्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाएगी।

[फा. सं. ए-12018/3/2015-Ad.I]

परमा सेन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

G.S.R. 354(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Civil Accounts Service (Group ‘A’) Recruitment Rules 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the recruitment to the Indian Civil Accounts Service in the Department of Expenditure, under the Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Indian Civil Accounts Service (Group ‘A’) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “appointed day” means the date on which these rules come into force;
- (b) “Commission” means the Union Public Service Commission;
- (c) “Controlling Authority” means the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure);
- (d) “Departmental Promotion Committee” means a Committee constituted to consider promotions in any grade of the Service specified in Schedule I of these rules and the composition of such Committee shall be as specified in Schedule III of these rules;
- (e) “Departmental Confirmation Committee” means a committee constituted to consider the probation and confirmation in the grade of Junior Time Scale and its composition shall be as specified in Schedule III of these rules;
- (f) “Duty Posts” means permanent post, included in Schedule I of the rules;
- (g) “Examination” means the Civil Services Examination conducted by the Commission for recruitment to the Indian Civil Accounts Service and such other Service or Services as may be specified by the Commission from time to time;
- (h) “Government” means the Central Government;
- (i) “Grade” means a grade of the service;
- (j) “OBC” shall comprise Other Backward Classes having the same meaning and applicability as laid down in the O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.1993, of the DoP&T, as amended from time to time;
- (k) “Regular Service” in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment on regular basis to that grade and includes any period or periods:
 - (i) taken into account for purpose of seniority in the case of those already in service at that time of notification of these rules;
 - (ii) during which an officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;
- (l) “Schedule” means a Schedule attached to these rules;
- (m) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall respectively have the same meanings as in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- (n) “Screening Committee” means a committee constituted as specified in Schedule III of these rules to consider placement in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade or grant of Non-Functional Upgradation (NFU) in any grade;
- (o) “Service” means the Indian Civil Accounts Service, which shall consist of the posts or grades or time scales mentioned in Schedule-I to these rules;

(p) “Vacancy Year” means Calendar Year or any other period as notified by the government from time to time.

3. Constitution of the Service.- (1) The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (i) All the existing officers holding appointment on regular basis in the Indian Civil Accounts Service in their respective grades on the appointed day;
- (ii) Persons appointed to the Service in accordance with the provisions of these rules.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group ‘A’ posts.

(3) The regular service of the officers referred to in clause (i) of sub-rule (1) before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of probation, confirmation, qualifying service for promotion and seniority in the Service.

(4) The cadre of Service shall be controlled by the Controlling Authority.

4. Grades and authorised strength of the Service.- (1) The grades, authorised strength and pay matrix of various grades of the duty posts of the Service on the appointed day shall be as specified in the Schedule-I.

(2) After the appointed day, the authorised strength of the duty posts of various grades of the Service shall be such as may, from time to time, be determined by the Government (M/o Finance & D/o Personnel & Training) through established procedure.

(3) The authority competent to make an appointment to a grade may make permanent or temporary additions to that grade, through the established procedure determined by the Government (M/o Finance and D/o Personnel & Training), as it may deem necessary from time to time subject to any general or special order that may be issued by the President.

5. Method of Recruitment.- (1) Any vacancy in any of the grades specified in Schedule I after the notification of these rules shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, namely:-

- (i) By Direct Recruitment – By direct recruitment in the Junior Time Scale on the basis of the Civil Services Examination conducted by the Commission in accordance with the rules for said exam notified by the Government/ Commission. 50% of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by Direct Recruitment.
- (ii) By promotion of officers from Central Civil Accounts Service – 50% of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by promotion on selection basis from amongst Senior Accounts Officers in Group ‘A’ of the Central Civil Accounts Service in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with three years’ regular service in the grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, as specified in Schedule-III.

(2) Appointments to the posts or grades at the level of Senior Time Scale and above in the Service shall be made by promotion in accordance with Schedule-II.

(3) In the event of non availability of eligible officers by promotion, the Government may, fill the duty posts of Junior Administrative Grade and Senior Time Scale grades on deputation basis for specified period, from the officers of Ministries/ Departments of the Central Government as per the criteria, eligibility, terms and conditions in accordance with Schedule-II:

Provided that the period of deputation shall ordinarily be for a period not exceeding three years.

6. Appointment to the Service.- All appointments to the Service shall be made by the Government as per provisions of Scheduled-II.

7. Probation.- (1) Every officer recruited to the grade of Junior Time Scale by Direct Recruitment shall be on probation for a period of two years:-

- i. Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.
- ii. Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in the due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations, and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) During the period of probation, passing of Foundation Course shall be mandatory for probationers.

(6) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

8. Promotion.- (1)(a) The field of selection and eligibility criteria for promotion to various grades of the Service shall be as specified in Schedule-II.

(b) Appointments to the posts of Senior Time Scale and above (except for Non Functional Selection Grade, where appointment is made through placement), in the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Column 4 of Schedule-II.

(2) Appointment of officers to Non-Functional Selection Grade (level-13) shall be made as placement on the basis of seniority, subject to suitability on the recommendations of the Committee consulted for this purpose in accordance with Schedule-II (A).

9. Non-Functional Upgradation.- (1) Non-functional upgradation to officers of Indian Civil Accounts Service in various grades (upto Higher Administrative Grade Level) of the service, shall be granted to eligible officers on the recommendations of the Screening Committee as specified in Schedule III of the rules, whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying pay in a specific level in the pay matrix, the officers belonging to batches of the organised Group 'A' services that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of Indian Administrative Service Officers in that particular grade at the centre, in terms of provisions of Annexure-I to Department of Personnel and Training Office Memorandum No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR) dated the 24th April, 2009, as amended from time to time, and on the recommendations of the Departmental Screening Committee constituted in accordance with Schedule III.

(2) As prescribed in the orders and instructions issued on the matter by the Government, all the terms and conditions, including prescribed eligibility criteria and promotional norms such as 'benchmark' for promotion to a particular grade of Indian Civil Accounts Service, etc. shall have to be met at the time of screening for grant of higher pay-scale.

(3) The 'Batch' of Indian Civil Accounts Service Officers for determining their eligibility for grant of non-functional upgradation would be decided as follows:-

- (i) In respect of directly recruited officers in the entry grade (Junior Time Scale), the 'Batch' year shall be the year following the year in which competitive examination was held through which they were selected. The batch of the officer promoted to subsequent grades of the Service would remain the same for the purpose of grant of non-functional upgradation in different pay levels, provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer would be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed.
- (ii) In respect of promotee officers inducted into the Service through promotion in the entry grade (Junior Time Scale), the batch year shall be the 'Batch' of the directly recruited officers, with whom their seniority is clubbed in the Indian Civil Accounts Service. The batch of the officer promoted to subsequent grades of the Service would remain the same for grant of non-functional upgradation in different pay levels, provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer would be considered along with the 'Batch' with which his seniority is fixed.

10. Seniority.- (1) The determination of seniority of direct recruits and promotees and inter-se seniority between direct recruits and promotees shall be governed by the principles provided in the instructions, issued by the Department of Personnel and Training on seniority from time to time.

(2) Senior Accounts Officers on their promotion to Junior Time Scale of the Service will be given two years' weightage in seniority and placed en-bloc below the junior most direct recruit of that year.

11. Liability for transfer.- Officers of the service shall be liable for transfer anywhere in India and outside.

12. Disqualifications.- No Person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Government may, if, satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to issue certain orders.- The Government may issue orders, not inconsistent with these rules, to provide for all matters, for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.

14. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any clause or category of persons.

15. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

16. Interpretation.- If any question arises as to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government who shall decide the same in consultation with the Commission.

17. Residuary matters.- In regard to matters not specially covered by these rules or orders made or issued these under or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services in general.

SCHEDULE –I

[See Rule 4(1)]

Designation, number and Scale/pay level of posts included in the various grades of the Indian Civil Accounts Service.

S. No.	Designation	No. of posts*	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Duty Posts		
(i)	Controller General of Accounts	1	Apex Scale [level-17 in the pay matrix (Rs. 225000)]
(ii)	Additional Controller General of Accounts	2	Higher Administrative Grade Plus Scale [level -16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400)]
(iii)	Principal Chief Controller of Accounts	7	Higher Administrative Grade Scale [level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100)]
(iv)	Joint Controller General of Accounts / Chief Controller of Accounts	51	Senior Administrative Grade Scale [level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)]

(v)	Senior Deputy Controller General of Accounts / Senior Controller of Accounts	63	Non Functional Selection Grade Scale [level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)]
	Deputy Controller General of Accounts / Controller of Accounts		Junior Administrative Grade Scale [level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)]
(vi)	Assistant Controller General of Accounts / Deputy Controller of Accounts	61	Senior Time Scale [level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)]
(vii)	Assistant Controller of Accounts	80	Junior Time Scale [level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)]
	Total Duty Posts (A)	265	
2.	Reserve		
(i)	Deputation Reserve	22	
(ii)	Leave Reserve	5	
(iii)	Training Reserve	5	
(iv)	Probationary Reserve	20	
	Total Reserve (B)	52	
	TOTAL AUTHORISED STRENGTH (A+B)	317	

* Number of posts, depending on the workload, varies subject to encadrement and Cadre Review.

Note: Number of posts to be operated in NFSG Scale within the sanctioned posts of JAG shall be 30% of the Total Senior Duty posts in terms of DoP&T's O.M. No. 22/1/2000-CRD dated 06.06.2000 or as may be determined by the Government from time to time.

SCHEDULE-II

[See Rule 5]

Statement showing the method of recruitment, field of selection and the minimum qualifying service in the preceding grade for appointment of officers on promotion/deputation to duty posts included in the various grades of Indian Civil Accounts Service:

S. No.	Name of the Grade & level in the pay matrix	Method of Recruitment	Field of Selection and the minimum qualifying service for promotion/deputation.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Junior Time Scale [level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)]	i) 50% by direct recruitment through the Civil Services Examination as per the age, educational qualifications and other conditions as per the rules for said Examination notified by the Government/ Commission from time to time. ii) 50% by promotion through selection	Senior Accounts Officers in Group 'A' of the Central Civil Accounts Service in level 10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with three years' regular service in the grade.

2.	Senior Time Scale [level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)]	By promotion on selection basis failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Officers in the Junior Time Scale [level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)] with four years' regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers under Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre / department; or</p> <p>(ii) with four years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Bachelor degree from recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) Two years experience in the field of Accounting, Budgeting, Administration / Establishment, Procurement, Vigilance, Audit, Information Technology, Public Policy.</p>
3.	Junior Administrative Grade [level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200)]	By promotion on selection basis failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Officers in the Senior Time Scale [level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)] with five years' regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers under Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre / department; or</p> <p>(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Bachelor degree from any recognised University/Institute; and</p> <p>(ii) Three years experience in the field of Accounting, Budgeting, Administration/ Establishment, Procurement, Vigilance, Audit,</p>

			Information Technology, Public Policy.
4.	Senior Administrative Grade [level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200)]	By promotion on selection basis	Officers in the Junior Administrative Grade in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with eight years' regular service in the grade including the service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade [level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)] of Junior Administrative Grade or Officers with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade including service rendered in the Non Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade.
5.	Higher Administrative Grade [level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100)]	By promotion on selection basis.	Officers in the Senior Administrative Grade in level-14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200) with three years' regular service in the grade or Officers with twenty-five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade.
6.	Higher Administrative Grade Plus [level -16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400)]	By promotion on selection basis.	Officers with one year of regular service in the Higher Administrative Grade in level-15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100).
7.	Apex Scale [level-17 in the pay matrix (Rs. 225000)]	By promotion on selection basis.	Officers with one year of regular service in the Higher Administrative Grade Plus in level -16 in the pay matrix (Rs. 205400-224400).

Note I: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note II: The crucial date for determining eligibility service for promotion to various grades in the service shall be the 1st January of the vacancy year.

Note III: The period of deputation including the period of deputation in the another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be ordinarily not exceed three years or will be as per extant rules of Department of Personnel & Training in this regard.

Note IV: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application.

SCHEDULE-II (A)

[Rule 8 (2)]

S. No.	Name of the Grade and level in the pay matrix	Method of recruitment	Minimum qualifying service for placement
1.	Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade)	Appointment by placement in the scale on the basis of seniority cum suitability.	Officers of Junior Administrative Grade in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200), who have entered 14 th year of service on the 1 st January of the

	[level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)]		<p>year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the members were recruited.</p> <p>or</p> <p>Officers of Junior Administrative Grade in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200), who have entered the service through promotion in accordance with the provisions in Service Rules at the Junior Time Scale of service and have completed thirteen years of regular service calculated from the year in which the officer was inducted into Junior Time Scale on the date of consideration for Non Functional Selection Grade.</p>
--	--	--	---

SCHEDULE-III

[See Rule 5, Rule 8 (2) and Rule 9]

Composition of Committee for considering the cases of promotion/ confirmation/Non-Functional Up-gradation/Non-Functional Selection Grade in various Group 'A' posts in the Indian Civil Accounts Service (ICAS):

S. No.	Grade	Composition of the Committees for considering the cases of confirmation/ promotion/Non-Functional Selection Grade/Non-Functional Upgradation	
(1)	(2)	(3)	
1.	Confirmation of Direct Recruits in Junior Time Scale of Indian Civil Accounts Service (Group A)	1. Additional Controller General of Accounts / Principal Chief Controller of Accounts 2. Deputy Controller General of Accounts 3. Controller of Accounts	Chairman Member Member
	Promotion of Sr. Accounts Officers (Group A) of Central Civil Accounts Service to Junior Time Scale of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Additional Controller General of Accounts/ Principal Chief Controller of Accounts 3. Additional Secretary (Expenditure) / Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure	Chairman Member Member
2.	Promotion from Junior Time Scale to Senior Time Scale of Indian Civil Accounts Service	1. Additional Controller General of Accounts/ Principal Chief Controller of Accounts 2. Additional Secretary (Expenditure) / Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure 3. Deputy Controller General of Accounts/ Controller of Accounts	Chairman Member Member
	Non-Functional Upgradation to Senior Time Scale of Indian Civil Accounts Service	Screening Committee (with reference to Rule 9) 1. Additional Controller General of Accounts/ Principal Chief Controller of Accounts 2. Additional Secretary (Expenditure) / Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure	Chairman Member

		3. Deputy Controller General of Accounts/ Controller of Accounts	Member
3.	Promotion from Senior Time Scale to Junior Administrative Grade of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Additional Controller General of Accounts/ Principal Chief Controller of Accounts 3. Additional Secretary(Expenditure)/Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure	Chairman Member Member
	Non-Functional Upgradation to Junior Administrative Grade of Indian Civil Accounts Service	Screening Committee (with reference to Rule 9) 1. Controller General of Accounts 2. Additional Controller General of Accounts/ Principal Chief Controller of Accounts 3. Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure	Chairman Member Member
4.	Placement in the Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade of Indian Civil Accounts Service/Non-Functional Upgradation to Non-Functional Selection Grade Scale (Screening Committee)	1. Controller General of Accounts 2. Additional Controller General of Accounts / Principal Chief Controller of Accounts 3. Additional Secretary (Expenditure) / Joint Secretary (Personnel), D/o Expenditure 4. Additional Secretary / Joint Secretary from any Department of Ministry of Finance	Chairman Member Member Member
5.	Promotion to the Senior Administrative Grade of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Secretary (Expenditure) 3. Controller General of Accounts	Chairman Member Member
	Non-functional upgradation to Senior Administrative Grade level of Indian Civil Accounts Service	Screening Committee (with reference to Rule 9) 1. Secretary (Expenditure) 2. Controller General of Accounts 3. Additional Secretary (Expenditure)	Chairman Member Member
6.	Promotion to Higher Administrative Grade of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Secretary (Expenditure) 3. Controller General of Accounts	Chairman Member Member
	Non-functional upgradation to Higher Administrative Grade level of Indian Civil Accounts Service	Screening Committee (with reference to Rule 9) 1. Secretary (Expenditure) 2. Controller General of Accounts	Chairman Member

		3. Additional Controller General of Accounts	Member
7.	Promotion to Higher Administrative Grade Plus of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Secretary (Expenditure) 3. Controller General of Accounts	Chairman Member Member
8.	Promotion to Apex Scale of Indian Civil Accounts Service	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission 2. Finance Secretary 3. Secretary (Expenditure)*	Chairman Member Member

* In case the Secretary (Expenditure) is also Finance Secretary, Finance Secretary may nominate another Secretary of the Ministry of Finance as member of the Committee.

Note I: The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee, if more than half members of the committee had attended the meeting.

[F. No. A-12018/3/2015-Ad.I]

PARAMA SEN, Addl. Secy.